मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन–0755–2543175,2737341
E-mail : mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in
website : www.mpwaqfboard.org

फा.क. 162/कृषि भूमि नीलामी/2024 / 3807-08   भोपाल दिनांक 7/6/24

//वक्फ कृषि भूमियों की वार्षिक नीलामी की सूचना//

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा पट्टा नियम 2014 संशोधित 2020 के अंतर्गत म.प्र राज्य की सभांगवार समस्त वक्फ कृषि भूमियों की वार्षिक नीलामी केवल कृषि प्रायोजन हेतु कराई जाना है। वक्फ कृषि भूमि वर्ष 2024–25 हेतु वार्षिक नीलामी पट्टे/लीज़/तौजी/किराये हेतु एक वर्ष से तीन वर्षो पर देने की कार्यवाही कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल मुख्यालय से खुली बोली के आधार पर की जावेगी। संभागवार ज़िलों की वक्फ कृषि भूमियों की पृथक पृथक वक्फवार नीलामी की जाएगी इसके खसरा नम्बर, भूमि का रकबा नीलामी की न्यूनतम रिर्ज़व प्राईज़ एवं धरोहर राशि की जानकारी कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड की **website: www.mpwaqfboard.org** पर देखी जा सकती है। ज़िले की समस्त कृषि भूमियों की सूची की एक प्रति ज़िला वक्फ कमेटी के कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जाएगी तथा विस्तृत जानकारी के लिए ज़िला वक्फ कमेटी से सम्पर्क किया जा सकता है तथा एक सूची म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल के कार्यालय के सूचना पटल पर कार्य दिवस में भी देखी जा सकती है। प्रदेश के संभागवार वक्फ कृषि भूमियों की नीलामी निम्न तालिका अनुसार कराई जाएगी।

क्रमांक	दिनांक	संभाग	समय
1	11.06.2024	जबलपुर संभाग	प्रातः 10:00 बजे से
2	12.06.2024	सागर संभाग	प्रातः 10:00 बजे से
3	12.06.2024	नर्मदापुरम संभाग	दोपहर 3:00 बजे से
4	13.06.2024	रीवा एवं शहडोल संभाग	प्रातः 10:00 बजे से
5	13.06.2024	भोपाल संभाग	दोपहर 3:00 बजे से
6	14.06.2024	ग्वालियर संभाग	प्रातः 10:00 बजे से
7	14.06.2024	चंबल संभाग	दोपहर 3:00 बजे से
8	15.06.2024	उज्जैन संभाग	प्रातः 10:00 बजे से
9	16.06.2024	इन्दौर संभाग	प्रातः 10:00 बजे से

नीलामी की शर्ते

1. प्रत्येक कृषि भूमि की नीलामी न्यूनतम रिर्ज़व प्राईज़ के अनुसार उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कृषि भूमि पट्टो पर दी जावेगी।
2. ज़िले की वक्फ कृषि भूमियों की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सूची में निर्धारित आरक्षित राशि का 10% नीलामी तिथि को नीलामी से पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र वक्फ बोर्ड के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. कृषि भूमि नीलामी में सफल व्यक्ति को नीलामी की निर्धारित सम्पूर्ण राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक सात दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र वक्फ बोर्ड के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।
4. नीलामी में असफल व्यक्तियों की आरक्षित राशि का प्रस्तुत डिमाण्ड ड्राफ्ट मूलतः वापस कर दिया जावेगा।
5. नीलामी में सफल व्यक्ति द्वारा किसी कारणवश असमर्थता जताई जाती है तो बोली में सम्मिलित दूसरे सबसे उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कृषि भूमि पट्टे पर आवंटित कर दी जावेगी।
6. संभागवार कृषि भूमि नीलामी में शेष रहने की दशा में कृषि भूमियों को आगामी दिनांकों में कार्यालय म0प्र0 वक्फ बोर्ड भोपाल/ज़िला वक्फ कमेटियों के माध्यम से नीलामी की जा सकेगी। प्रदेश में मानसून प्रारंभ होने एवं फसल की बुआई में समय सीमा के दृष्टिगत पृथक से कोई विज्ञप्ति जारी नही की जाएगी।
7. कृषि भूमि की नीलामी की कार्यवाही को कराने अथवा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल।